डिस्कलेमर

आदेश संख्या 27/2021-22 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमवाईटीपी/जीएसईसी/सी/अहम./सीपी-III/2021-26

आदेश संख्या 27/ 2021-22

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (जीएसईसी) के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए कार्गो हैंडलिंग प्रभार के निर्धारण के मामले में

नई दिल्ली 16.11.2021

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – **110003**

अध्याय 10 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

मैसर्स जीएसईसी के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय में दिए गए) का सार इस प्रकार है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.3.1	चूंकि मैसर्स जीएसईसी द्वारा अहमदाबाद हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवा 'मटिरियल किंतु प्रतिस्पर्धी' है, इसलिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ "लाइट टच एप्रोच" आधार पर निर्धारित की जाएगी।	08
अध्याय संख्या 4.	4.8.1	प्राधिकरण तालिका 1 और तालिका 2 में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए क्रमशः आरएबी/कैपेक्स (आरएबी में परिवर्धन) को मानने का निर्णय लेता है।	13
	4.8.2	प्राधिकरण मैसर्स जीएसईसी अहमदाबाद के लिए तालिका-4 में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानने का निर्णय लेता है।	13
अध्याय संख्या 5.	5.5.1	प्राधिकरण मैसर्स जीएसईसी अहमदाबाद के लिए तालिका-7 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमापी अनुमानों को मानने का निर्णय लेता है।	16
अध्याय संख्या 6	6.5.1	प्राधिकरण मैसर्स जीएसईसी अहमदाबाद के लिए तालिका-13 में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	25
अध्याय संख्या 7	7.4.1	प्राधिकरण मैसर्स जीएसईसी अहमदाबाद के लिए तालिका-16 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए राजस्व अनुमानों को मानने का निर्णय लेता है।	27
अध्याय संख्या 8	8.5.1	प्राधिकरण मैसर्स जीएसईसी अहमदाबाद के लिए तालिका-18 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कर खर्च को मानने का निर्णय लेता है।	29
अध्याय संख्या 9	9.5.1	प्राधिकरण मैसर्स जीएसईसी के लिए एसवीपीआई हवाईअड्डा, अहमदाबाद में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 31.12.2022 तक कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के अंत तक प्रचलित मौजूदा टैरिफ दरों (देखें: संलग्नक–I के अनुसार टैरिफ कार्ड) को जारी रखने का निर्णय लेता है। यदि मैसर्स जीएसईसी के मौजूदा रियायत करार को 31.12.2022 के बाद तृतीय नियंत्रण अवधि के अंत तक नवीकृत किया जाता है तो अनुमोदित टैरिफ 31.03.2026 तक जारी रहेगी।	36
	9.5.2	प्राधिकरण यह भी निर्णय लेता है कि यदि मैसर्स जीएसईसी का रियायत करार 31.12.2022 के बाद नवीकृत नहीं किया जाता है तो अनुमोदित टैरिफ 01.01.2023 से प्रभावी नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि मौजूदा करार से मूल रूप से भिन्न नया रियायत करार किया जाता है, जिससे कार्गो प्रचालन तात्विक रूप से प्रभावित होते हैं तो मैसर्स जीएसईसी एसवीपीआईए, अहमदाबाद में कार्गो हैंडलिंग प्रचालनों के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्राधिकरण के यथोचित मूल्यांकन के लिए नया एमवाईटीपी/एटीपी प्रस्तुत करेगी।	36
	9.5.3	प्राधिकरण तालिका 21 और तालिका 22 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए एआरआर और लाभप्रदता को अपनाने का निर्णय लेता है।	36

अध्याय 11 : <u>आदेश</u>

11.1 रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा (13) (1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :-

(i) मैसर्स जीएसईसी, अहमदाबाद को तृतीय नियंत्रण अवधि के 311.2202.2 तक के लिए एसवीपीआई हवाईअड्डा, अहमदाबाद में अपनी कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के अंत में प्रचलित मौजूदा टैरिफ दरों को वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है। यदि मैसर्स जीएसईसी के मौजूदा रियायत करार को 31.12.2022 के बाद तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के अंत तक नवीकृत किया जाता है तो अनुमोदित टैरिफ 31.03.2026 तक जारी रहेगी।

(ii) यदि मैसर्स जीएसईसी का रियायत करार 31.12.2022 के बाद नवीकृत नहीं किया जाता है तो संलग्नक-I पर अनुमोदित टैरिफ 01.01.2023 से प्रभावी नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि मौजूदा करार से मूल रूप से भिन्न नया रियायत करार किया जाता है, जिससे कार्गो प्रचालन तात्विक रूप से प्रभावित होते हैं तो मैसर्स जीएसईसी एसवीपीआईए, अहमदाबाद में कार्गो हैंडलिंग प्रचालनों के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्राधिकरण के यथोचित मूल्यांकन के लिए नया एमवाईटीपी/एटीपी प्रस्तुत करेगी।

(iii) "संलग्नक -I" में दी गई अनुमोदित टैरिफ इस आदेश की तारीख से प्रभावी होगी।

(iv) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरें यथा लागू करों, यदि कोई हो, को छोड़कर उच्चतम हैं। निर्धारित टैरिफ वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
दूसरा तल, गुजरात चैम्बर्स बिल्डिंग,
आश्रम रोड, अहमदाबाद – 380009, गुजरात
(मार्फत : श्री समीर मांकड़, निदेशक)

<u>प्रतिलिपि,</u>

(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मैसर्स अडानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एएआईएएल) अडानी कॉर्पोरेट हाऊस, शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्कल के पास, एसजी राजमार्ग, खोडियार, अहमदाबाद 382421-, गुजरात भारत

(ii) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली –110003.